

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभि० 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.09.2020 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दौराने चैंकिंग/गस्त दौरान मुखबिर मुखविर की सूचना पर रायपुर अड्डे के पास मु०अ०सं० 566/2013 धारा 304/34 भादवि से सम्बन्धित मफरूर /15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अलीजान पुत्र मियांजान निवासी मौहल्ला जाबतागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर को समय करीब 06.10 बजे मय 01 तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 498/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।

बरामदगी----

एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का नाम -

अलीजान पुत्र मियांजान निवासी मौहल्ला जाबतागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर (ईनाम 15 हजार रु०)।

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 467/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना न०बाद
2. मु०अ०सं० 1163/2009 धारा 398/401 भादवि थाना न०बाद
3. मु०अ०सं० 721/2009 धारा 457/380/411 भादवि थाना न०बाद
4. मु०अ०सं० 403/2009 धारा 457/380 भादवि थाना न०बाद
5. मु०अ०सं० 548/2009 धारा 380 भादवि थाना न०बाद
6. मु०अ०सं० 118/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना न०बाद
7. मु०अ०सं० 396/2011 धारा 398/401 भादवि थाना न०बाद
8. मु०अ०सं० 399/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना न०बाद
9. मु०अ०सं० 356/2013 धारा 304/34 भादवि थाना न०बाद
10. मु०अ०सं० 498/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना न०बाद



थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 अभि० 82 बोतल अवैध देशी शराब / 18 पब्बे देशी शराब, 01 चाकू, यूरिया सहित गिरफ्तार।

मु०अ०सं०-314 / 2020 धारा- 60(1) / 63 आबकारी अधि० व धारा 272 भादवि० बनाम- सोनू उर्फ संदीप

दिनांक घटना-30.09.2020 समय-7:00 बजे घटना स्थल-गोहावर जैत
दिनांक गि०/ब०-30.09.2020 समय-7:00 बजे गि०/स्थल-ग्राम गोहावर जैत

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सोनू उर्फ संदीप पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम गोहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



बरामदगी का विवरण-

- 1-82 बोतल अवैध देशी शराब
- 2-88 पब्बे अवैध देशी शराब
- 3-01 चाकू
- 5-02 किलो यूरिया
- 6-शराब बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 314 / 2020 धारा 60(1) / 63 आबकारी अधि० व धारा 272 भादवि०
घटना का संक्षिप्त विवरण-

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.09.2020 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर ग्राम गोहावर जैत से अभि० सोनू उर्फ सन्दीप उपरोक्त को अपमिश्रित शराब का निर्माण करते गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सोनू उपरोक्त द्वारा बताया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शराब के दाम मँहगे होने पर गाँव में उसकी शराब की माँग बहुत अधिक बढ़ गयी थी। शराब में यूरिया मिलाकर उसको और अधिक तेज कर देते हैं। इससे हमारी शराब को और अधिक पसन्द किया जाये। इससे काफी पैसा बच जाता है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1-उ०नि० नीरज तोमर, 2-हे०कां० राजीव शर्मा, 3-कां० 1182 राजन, 4-कां० 595 कौशल शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

थाना शि०कलां:- आज दिनांक 30.09.2020 को थाना शि०कलां पुलिस द्वारा थाना शि०कलां पर पंजीकृत मु०अ०सं० 157/20 धारा 363 भादवि० व धारा 7/8 पोस्को अधि० के वांछित अभि० हेमन्त पुत्र मुन्नू निवासी नानक नंगली थाना नौगामा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।



थाना अ०गढ़:— आज दिनांक 30.09.2020 को थाना अ०गढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० 1—हसीन, 2—फिरासत पुत्रगण मोमिन, 3—इस्माईल पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम भोगी थाना अ०गढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना किरतपुर:— आज दिनांक 30.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गण 1. साबुद्दीन पुत्र अब्दुल मजीद 2. समीम पुत्र बाबू 3. कसीम पुत्र बाबू 4. सुलेमान पुत्र अब्दुल मजीद 5 नदीम पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



नोट:- आज दिनांक 29.09.2020 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत शान्ति समिति की बैठक की गयी।

